सार-समाचार

32 किलो यूज्ड ऑयल नष्ट करवाया

कोटा, (निसं)। कोटा प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कामयाब कोटा व राज्य में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार होली स्पेशल अभियान के अंतर्गत प्रमुख शासन सचिव मेडिकल एंड हेल्थ गायत्री राठौर, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एच गुइटे के मार्गदर्शन व जिला कलेक्टर डॉ.रविन्द्र गोस्वामी कोटा के निर्देशन में एवं अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.नरेंद्र नागर के नेतृत्व मैं लगातार कार्यवाही की जा रही है। होली पर मावे की बढ़ती खपत को देखते हुए मिलावट की आशंका भी बढ़ जाती है इस कारण आज मावा मंडी में कार्रवाई करते हुए लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक मावा व मिठाई की दुकानों का निरीक्षण करते हुए मावे व मिठाई के 28 नमूने लिए गए। जिन दुकानों साफ-सफाई नहीं पाई गई उन्हें साफ-सफाई रखने व लाइसेंस प्रमुख प्रदर्शित भाग पर नहीं लगे हुए थे उन्हें इसके लिए पाबंद किया। कुन्हाड़ी चौराहे स्थित एक मिष्ठान भंडार का निरिक्षण करने पर यहां एक ही तेल में कई बार कचौरी व समोसे तलना पाया गया, टीपीसी मीटर द्वारा जांच करने पर तेल की टीपीसी वेल्यू मानक स्तर से अधिक पाये जाने पर 32 किलोग्राम तेल नष्ट करवाया गया, साथ ही आगे से बार-बार गर्म करके तेल को उपयोग नहीं लेने हेतु पांबद किया गया लिए गये कुल 28 नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला कोटा भिजवाया गया जहां से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी इस कार्यवाही में अधिकारी संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोजी लाल कुम्भकार समिलित रहे।

महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

कोटा, (निसं)। बोरखेडा थाना इलाके में बीमारी से परेशान एक वृद्धा ने घर में फांसी का फन्दा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर में महिला अकेली थी और पति मॉर्निंग वॉक पर गया था जब वापस आया तो महिला को फांसी के फन्दे पर लटका पाया। जिसे नीचे उतारकर उपचार के लिये एमबीएस अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर महिला ने डॉयरी में सुसाइड नोट भी छोड़ा। बोरखेड़ा थाने के एएसआई करतार सिंह ने बताया कि मृतका गायत्री विहार बजरंग नगर निवासी धनकंवर (60) है। एएसआई ने बताया कि घर मे पति-पत्नी रहते है, और महिला के तीन बेटे कोटा से बाहर रहते है। बुधवार सुबह जब पति मॉर्निंग वॉक पर निकल गया तो पीछे से धनकंवर ने घर में फांसी का फन्दा लगा लिया। एएसआई ने बताया कि परिजन उसे उपचार के लिये अस्पताल ले गये। जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतका ने डॉयरी मे एक सुसाईड नोट छोड़ा जिसमे स्वयं की मर्जी से ये कदम उठाना लिखा है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

फरार दो आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। रामपुरा कोतवाली पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए चाकूबाजी की घटना में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि रामपुरा कोतवाली मे चाकूबाजी की घटना में दर्ज एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस उपअधीक्षक राजेश कुमार टेलर के सुपरविजन में रामपुरा कोतवाली थाने के उपनिरिक्षक थानाधिकारी महेश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने तकनीकी आधार व मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए फतेहगढ़ी रामपुरा निवासी दीपक (18) एवं विक्रम चौक निवासी मनोज अग्रवाल उर्फ मन्नु (20) को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। रामपुरा कोतवाली के उपनिरिक्षक थानाधिकारी महेश कुमार ने बताया कि फरियादी राजकुमार ने थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने कहा कि 9 मार्च को दीपक व मनोज मिले जिन्होने शराब पीने के लिये 500 रूपये मांगे नही देने पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया है।

शिक्षा संबल योजना में पढ़ रहे बच्चों के साथ होली खेली

कोटा, (निसं)। नीट की परीक्षा नजदीक होने के कारण घर नहीं जा सके स्टूडेंट्स के साथ होली मनाई गई। एलएन माहेश्वरी परमार्थ न्यास की ओर से शिक्षा संबल योजना के अंतर्गत कोटा में नीट की निशुल्क कोचिंग कर रहे है। इस योजनान्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों के सरकारी स्कूलों के निर्धन परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की निशुल्क तैयारी एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों को निशुल्क आवास व भोजन व्यवस्था भी दी गई है। नया नोहरा स्थित एलन सुपथ कैम्पस में बुधवार को इन विद्यार्थियों के साथ होली खेली गई। कार्यक्रम में 126 विद्यार्थी शामिल हुए। इस अवसर पर एलन सुपथ कैम्पस प्रिंसिपल अमित काबरा ने सभी विद्यार्थियों को होली के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कड़ी मेहनत ही आपके जीवन में सफलता के रंग भर सकती है। आज आप मेहनत करेंगे तो कल समाज एवं देश समृद्ध बन सकेगा। विद्यार्थियों ने इस मौके पर एक-दूसरे को गुलाल एवं रंग लगाया।

मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। गुमानपुरा पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए दो शतिर मोटरसाईकिल चोर को गिरफ्तार किया है। गुमानपुरा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 15 फरवरी को फरियादी जगदीश ने थाने में रिपोर्ट दी कि 2 फरवरी को किसी काम से बाईक से आया था और सेवन वंडर के समीप ज्वाला तोप के पास बाईक खड़ी करके गया और जब वापस आया तो बाईक खड़ी हुई नही मिली। थानाधिकारी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटैज चेक कर आरोपियों को ट्रैस आउट करते हुए 11 मार्च को न्यायालय से प्राप्त प्रोडेक्शन वारंट पर आरोपी सुनील व कन्हैयालाल को केन्द्रीय कारागृह से गिरफ्तार कर आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

नशीले पदार्थों की तस्करी पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का शिकंजा

■ 49.640 किलोग्राम क्रश्ड डोडा-चूरा पाउडर जब्त

कोटा, (निसं)। राजस्थान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के अपने सतत प्रयासों के तहत केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन.) राजस्थान ने क्रश्ड डोडा चूरा पाउडर जप्त करने मे श्सफलता प्राप्त की है।

नरेश बुन्देल, उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा राजस्थान ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर मादक पदार्थ विरोधी अभियान के क्रम में, सीबीएन, भीलवाड़ा के अधिकारियों की एक निवारक टीम ने 11 मार्च.2025 को गांव बिड का खेड़ा (मानपुरा) रोड़, तहसील-मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) के पास त्रिवेणी-जहाजपुर में राजस्थान रोडवेज बस में एक व्यक्ति को रोका और तीन बैगों में 49.640 किलोग्राम वजन का क्रश्ड डोडा चूरा पाउडर जब्त किया। उन्होंने बताया कि विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद कि उत्तर प्रदेश का एक तस्कर त्रिवेणी (मांडलगढ़) से जयपुर के लिए राजस्थान रोडवेज बस में क्रश्ड डोडा चूरा पाउडर लेकर आएगा और वह उक्त डोडा चूरा पाउडर लुधियाना (पंजाब) के एक तस्कर को देगा। उन्होंने बताया कि सीबीएन, भीलवाड़ा के अधिकारियों की एक निवारक टीम का गठन किया गया और 11 मार्च 2025 को सुबह रवाना किया गया और संदिग्ध मार्ग पर कडी निगरानी रखी गई और रोडवेज बस की सफलतापूर्वक पहचान करने के बाद एक व्यक्ति को रोका और बस में अच्छी तरह से तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप तीन बैगों में 49.640 किलोग्राम क्रश्ड डोडा चूरा पाउडर बरामद हुआ।

कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, तस्करी के क्रश्ड डोडा चूरा पाउडर को जब्त कर लिया गया है और जब्ती मामले में एक व्यक्ति को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन) अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्यवाही जारी रखेगा ताकि राज्य में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके।

स्पीकर बिरला आज से चार दिवसीय कोटा प्रवास पर

■ स्पीकर बिरला क्षेत्रवासियों के साथ होली का पर्व मनाएंगे

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार से संसदीय क्षेत्र कोटा-बून्दी के चार दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे इस दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेंगे। बिरला गुरुवार सुबह 6.15 बजे श्री राधा-कृष्ण मंदिर तलवंडी में दिव्य फागोत्सव एवं विराट संकीर्तन परिक्रमा में सम्मलित होंगे। 10.30 बजे गिरधरपुरा स्थित कुंद-कुंद कहान दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य धरसेन जैन महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह, सायं 7.00 बजे पुरानी सब्जीमंडी, इंद्रा मार्केट में आयोजित बाबा खाटू श्याम की विशाल भजन संध्या, 7.30 बजे उम्मेद क्लब में रोटरी के होली मिलन समारोह व रात्रि 9.00 बजे आर.के.पुरम स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में आयोजित होली मिलन एवं सांस्कृतिक संध्या व प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

स्पीकर बिरला शुक्रवार को कैथूनीपोल स्थित पैतृक आवास पर क्षेत्रवासियों के साथ होली का पर्व मनाएंगे। इसके अतिरिक्त सांय 6 बजे कैथून में हिरण्यकश्य दहन कार्यक्रम व सायं 7 बजे खण्डेलवाल समाज के शपथ-ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।

कोटा रेल मंडल में रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

■ डीआरयूसीसी सदस्यों ने यात्री सुविधाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए

कोटा, (निसं)। रेलवे के विकास एवं यात्री सुविधाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए कोटा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा की अध्यक्षता में 12 मार्च को मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक में 17 डीआरयूसीसी सदस्यों मे से कुल 12 सदस्यगणों ने भाग लिया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से सभी सदस्यों को कोटा मंडल की उपलब्धियों एवं वर्तमान में प्रदत्त यात्री सुविधाओं पर संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। सभी सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित यात्री सुविधाओं के विकास तथा यात्रियों की मांगो के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझावों को रेल प्रशासन के समक्ष रखा। सभी सदस्यों ने एकमत से कोटा रेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

बैठक में उपस्थित 12 सदस्यों ने गुप्त मतदान कर बहुमत से जेडआरयूसीसी के निर्वाचित सदस्य के रूप में धीरज गुप्ता को दूसरी बार चुना। गुप्ता डीआरयूसीसी के चार बार के सदस्य रह चुके है। उनके द्वारा पूर्व में दर्जनों यात्री ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव, स्टेशनों पर खाद्य सामग्रियों को अखबार की बजाय उपयुक्त प्लेटो पर मुहैया कराने के मुद्दों पर रेल प्रशासन द्वारा सकारात्मक पहल की गई है। सदस्यों ने धीरज गुप्ता पर विश्वास जताते हुए जेडआरयूसीसी का सदस्य चुना। बैठक में भाटिया एंड कंपनी कोटा से प्रेम भाटिया, अडानी पॉवर लिमिटेड सालपुरा से सयद सरधार, मंगलम सीमेंट मोडक से राजेन्द्र चुण्डावत, धानमंडी बारां से देवकी नंदन बंसल, अपना घर आश्रम कोटा से योगेन्द्र मणि कौशिक, वतन फाउंडेशन सवाई माधोपुर से मो. हुसैन, जल सेवा समिति रामगंजमंडी से मुकेश कुमार श्रृंगी, दिव्यांग समिति कोटा से रमेश चन्द्र नागर, एसीसी सीमेंट लाखेरी से लोकेश श्रीमाली, सांसद झालावाड़-बारां प्रतिनिधि धीरज गुप्ता, सांसद भीलवाड़ा प्रतिनिधि संजय कुमार धाकड़ एवं सांसद मथुरा प्रतिनिधि हरिओम अग्रवाल ने अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित यात्री सुविधाओं के विकास एवं यात्रियों की मांगों के बारे में सुझाव दिए। साथ ही बैठक में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनिल सिंघल ने राज्य सरकार प्रतिनिधि के रूप में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

बैंक खाते हैक कर राशि निकालने वाली गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। साईबर पुलिस टीम ने 50 लाख की ठगी के मामले में कार्यवाही करते हुए बैंक खाते हैक कर राशि निकालने वाली अन्तर्राज्यीय साईबर ठग गैंग का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार किया हैं। आरोपियों द्वारा ठगी की राशि में से 40 लाख का सोना खरीदना पाया गया है। शहर एसपी डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि 13 जून 2024 को फरियादी शैलेन्द्र गुप्ता ने साईबर थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि मेरी कंपनी डायनेमिक फाईनेंस लिमिटेड है। कंपनी का खाता एचडीएफसी बैंक में है जिस पर लेन-देन व नेटबैंकिग है। उक्त मोबाईल नं. मेरे मैनेजर अनिल गुप्ता के पास रहता है। पिछले कुछ दिनों से मोबाईल नेटवर्क में प्रोब्लम हो रही थी। मैनेजर ने बताया कि 11 जून 2024 को मेरी कंपनी से अन्य कंपनी को पैमेंट करने हेतु कंपनी कर्मचारी हरिश पालीवाल ने उपरोक्त बैंक खाता चैक किया तो खाते से 50 लाख रूपये संदिग्ध ट्रांसजेक्शन किये हुए मिले जो हमारे द्वारा नहीं किये गये। किन्ही अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खाते से धोखाधड़ी व जालसाजीपूर्वक जारी करवाकर नेट बैंकिंग से कंपनी के खाते से एक्सेस कर लिये है। एसपी ने बताया कि ठगी का मामला सामने आने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए साईबर थाने के पुलिस उपअधीक्षक विनोद कुमार के सुपरविजन में साईबर थानाधिकारी सतीश चन्द के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने कार्यवाही करते हुए साईबर ठग द्वारा प्रयोग किये गये बैंक खातों व मोबाईल नंबरों का पता लगवाया। शहर एसपी ने बताया कि कार्यवाही में सामने आया कि ठगों ने फरियादी की कंपनी के बैंक खाते व लिंक मोबाईल नंबर को हैक कर आरोपी मनीष पाण्डे के खाते में ट्रांसफर कर उक्त ठगी गयी राशि को ज्वैलर्स तनीष्क शोरूम पटना बिहार के खाते में डालकर 40 लाख रूपये का सोना खरीदना पाया गया। ठग उत्तरप्रदेश के होने पाये गये जिस पर टीम को उत्तरप्रदेश रवाना किया गया। और टीम ने आरोपी मनीष पाण्डे व अभिषेक सिंह को उत्तप्रदेश के प्रयागराज व सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया। पकड़े गये ठगों से अनुसंधान जारी है।

होली के रंग फैशन के संग कलेक्शन लाँच

कोटा, (निसं)। कुटुर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी संस्था द्वारा होली के त्योहार पर कलेक्शन तैयार किया गया जिसमें व्हाइट कलर के साथ गुलाल के रंगो को खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया ओर युवा वर्ग के लिए स्कट्र्स एवं डेनिम के साथ भी डिजाइन तैयार किए गए इस कलेक्शन मैं फैब्रिक पेंटिंग, ऊन के टेसल्स, फ्रील पैटर्न ओर पेच वर्क भी इस्तेमाल किया गया स कलेक्शन संस्था के विध्यार्थी ईशिता मित्तल, नूर उल कमर, मोहम्मद रेहान, माहि वर्मा, भावना कोली, प्रभरानी कौर, रोशनी अंसारी, हरप्रीत कौर एवं नुरीन अंसारी ने तैयार किया। संस्था की डायरेक्टर पुजा राजवंशी ने बताया कि होली कलेक्शन संस्था के मॉडल्स ने संस्था परिसर में वॉक कर प्रस्तुत किया और गुलाल से होली भी खेली।

रामगंजमंडी में अधिवक्ता महापंचायत सम्पन्न

■ दोनों न्यायालय इसी परिसर में बनेंगे,

■ प्रस्तावित भूमि पर भूमि पूजन किया

रामगंजमंडी, (निसं)। शहर में प्रस्तावित दो न्यायालय एडीजे व एसीजेएम के नये भवन वर्तमान परिसर में ही बनवाने की मांग को लेकर अभिभाषक परिषद द्वारा बुधवार को आयोजित महापंचायत में हाड़ौती भर की अभिभाषक परिषद के पदाधिकारियों ने शिरकत की।

परिषद के सचिव प्रदीप अहीर एडवोकेट ने बताया कि रामगंजमंडी में दो न्यायालय भवन का निर्माण प्रस्तावित है। जिसके लिए वर्तमान परिसर में खाली पड़ी भूमि की पैमाईश हो चुकी है, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया नक्शा राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुमोदित है, जिला कलक्टर कोटा द्वारा भूमि का कब्जा संभलाने के आदेश हो चुके हैं। किन्तु उपखण्ड अधिकारी नीता वसीटा द्वारा उक्त भूमि न्यायालय भवन निर्माण के लिए देने में आनाकानी की जा रही है तथा आठ किमी दूर निमाणा में भूमि आवंटित करने के प्रयास किए जा रहे है। जहां आवागमन का कोई साधन नहीं है व दो स्थानों पर न्यायालय संचालित होना व्यावहारिक भी नहीं है। जिसके कारण अभिभाषक परिषद द्वारा 24 फरवरी 2025 से ही उपखण्ड अधिकारी का बहिष्कार किया जा रहा हैं।

आन्दोलन को व्यापक करने के लिए परिषद द्वारा बुधवार को आयोजित महापंचायत में कोटा अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी पूर्व महासचिव जितेन्द्र पाठक पूर्व अध्यक्ष रघुनंदन गौतम वरिष्ठ अधिवक्ता महेश शर्मा कार्यकारिणी सदस्य दुर्लभ चौहान बारां अध्यक्ष कमलेश दुबे महासचिव शैलेश स्पीकर तेजकुमार मीणा मिडिया प्रभारी संदीप चौबे मांगरोल अध्यक्ष अजीत जैन उपाध्यक्ष लोकेश दाधीच अंता अध्यक्ष नन्दकिशोर मय कार्यकारिणी एवं भवानीमण्डी अध्यक्ष मुकेश प्रजापति मय कार्यकारिणी मौजूद थे।

महापंचायत को सम्बोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने कहा कि हाड़ौती का हर वकील रामगंजमंडी के साथ है, रामगंजमंडी में सभी न्यायालय एक ही परिसर में संचालित होंगे। इसके लिए पुरी हाड़ौती की अभिभाषक परिषद रामगंजमंडी के साथ आन्दोलन को तैयार है, चार दिन के अवकाश के बाद आगे की रणनीति कोटा में तय होगी। अवकाश के बाद जिला कलक्टर एवं संभागीय आयुक्त से अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा।

बूंदी, झालावाड़, अकलेरा, कनवास के पदाधिकारी आवश्यक कार्य आने से नहीं आ पाये किंतु आन्दोलन को पूरा समर्थन देने का समाचार प्रेषित किया। परिषद के अध्यक्ष चन्दन गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि आन्दोलन के किसी भी स्तर पर जायेंगे लेकिन सभी न्यायालय इसी परिसर में रहेंगे। रामगंजमंडी उपखण्ड की दोनों नगरपालिका अध्यक्ष पार्षद एवं सभी छत्तीस पंचायतों रामगंजमंडी के व्यापार संगठनों का सहयोग लेकर आन्दोलन को व्यापक बनायेंगे।

भूमि पूजन किया-प्रस्तावित भूमि पर कोटा अभिभाषक परिषद के पूर्व अध्यक्ष रघुनंदन गौतम वर्तमान अध्यक्ष मनोज पुरी बारां अध्यक्ष कमलेश दुबे मांगरोल अध्यक्ष अजीत जैन अन्ता अध्यक्ष नन्दकिशोर व रामगंजमंडी अध्यक्ष चन्दन गुप्ता द्वारा सभी अधिवक्ताओं की मौजूदगी में प्रस्तावित भूमि का भूमि पूजन भी किया गया। महापंचायत की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम बिहारी माहेश्वरी ने की एवं संचालन सुरेन्द्र सिंह शक्तावत ने किया।

खोया-पाया

लाडबाई पत्नी उमाशंकर मकान नं. 1-i-4, महावीर नगर विस्तार, कोटा का केन्सिलेशन पत्र गुम हो गया है। किसी को मिलने पर सूचित करें।

नाम परिवर्तन

मेरा शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम परमवीर सिंह राठौड़ pramveer singh rathod पिता का नाम लक्ष्मण सिंह राठौड़ Lakshman Singh Rathod अंकित है मेरे को भविष्य में परमवीर सिंह राठौड़ pramveer singh rathore पिता का नाम लक्ष्मण सिंह राठौड़ Laxman Singh Rathore के नाम से जाना जाए जो सही है।

न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश कोटा राजस्थान

प्रार्थना पत्र क्रमांक : CM 120/2024

(1) श्री बलबीर सिंह चौहान पुत्र श्री मोहन सिंह, उम्र 58 वर्ष, जाति राजपूत (2) श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री बलबीर सिंह चौहान, उम्र 56 वर्ष, जाति राजपूत, निवासीगण- एफ-142 प्रेम नगर द्वितीय अर्फोडेबल आवासीय योजना, कोटा हाल निवासी 75-ए, सपना रेजीडेन्सी न्यू गोपाल विहार रायपुरा थेकड़ा रोड़, कोटा (राज.) ...... प्रार्थीगण

- बनाम -

(1) श्रीमती दीपशिखा पत्नी स्व. श्री सुमित सिंह चौहान पुत्री महावीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी-अजनावर थाना छीपाबड़ौद, जिला बारां (राजस्थान) (2) शाखा प्रबंधक महोदय यूनाईटेड इण्डिया इन्श्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड मण्डल कार्यालय प्रथम, 27, झालावाड़ रोड़ कोटा (3) सर्वसाधारण ...... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम -1972

जनरल नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण क्रम-1 व 2 श्री बलबीर सिंह चौहान व श्रीमती प्रेमलता ने इस न्यायालय में एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पेश किया है जिसमें आलेखित किया है कि प्रार्थीगण के पुत्र स्व. सुमित सिंह चौहान, जाति राजपूत, निवासी- एफ-142, प्रेम नगर द्वितीय अर्फोडेबल आवासीय योजना, कोटा हाल निवासी 75-ए, सपना रेजीडेन्सी न्यू गोपाल विहार रायपुरा थेकड़ा रोड़, कोटा (राज.) की मृत्यु बमुकाम डाडदेवी माता जी कोटा में दिनांक 14.07.2023 को हो चुकी है। मृतक सुमित सिंह चौहान का शाखा प्रबंधक महोदय यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लि. मण्डल कार्यालय प्रथम-27 झालावाड़ रोड़, कोटा के द्वारा मृतक का पर्सनल एक्सीडेन्ट बीमा किया गया था जिसकी पॉलिसी नम्बर-1422833122 P 111788927 क्लेम नम्बर-1422833123 C 050050001 वाहन संख्या-RJ20 CA 8858 बीमा धारी स्व. श्री सुमित सिंह चौहान के बीमे की **राशि 15,00,000/- रूपये (अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये)** मय ब्याज व बीमे की प्रभावी दिनांक 14.02.2023 से 13.02.2024 तक है। उक्त राशि हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में **दिनांक 18.03.2025** को **समय 10:30 AM** को उपस्थित होकर न्यायालय में असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा मृतक सुमित सिंह चौहान की क्लेम राशि (बीमा) के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के पक्ष में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। और बाद में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही सुनी जायेगी। बशब्द मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज **दिनांक 12.03.2025** को जारी किया जा रहा है।

(मुद्रा) न्यायालय के आदेश से वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा (राज.)

शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा लि. 696 आर, कोलीपाड़ा, श्रीपुरा कोटा

क्रमांक:-71 **वसूली नोटिस** दिनांक:-08.11.24

संस्था से पूर्व में निलम्बित स्टोरकर्मी श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह निवासी ग्राम-हथौड़ी, पंस-वैर जिला-भरतपुर दिनांक 02.04.23 से बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित चल रहे थे, जिन्हें दिनांक 08.11.24 को संस्था से बर्खास्त कर राशि 781709/-की वसूली हेतु पत्र भिजवाया गया है। जरिये समाचार पत्र श्री पुष्पेन्द्र सिंह को सूचित किया जाता है कि उक्त संबंध में अपना पक्ष 3 दिवस के भीतर संस्था कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा माननीय न्यायालय में वसूली कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। सूचित हो।

मन्त्री

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2024-25/100899 **लोक सूचना** दि.12.03.2025

श्री DAYARAM पुत्र श्री BAIRAG JI जाति MEGHWAL निवासी BAIRAG JI, GAVADI, M,URLIDHAR MANDIR KE PASS RAMDEV JI KA MANDIR, KOTA RANGPUR, KOTA RAJASTHAN ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	गांवड़ी, लाडपुरा (कोटा)	DAYARAM S/O BAIRAGA HISSA PURNA CASTE- MEGHWAL SA DEH KHATEDAR	193	21200	2.12
2.	गांवड़ी, लाडपुरा (कोटा)	DAYARAM S/O BAIRAGA HISSA PURNA CASTE- MEGHWAL SA DEH KHATEDAR	290	1200	0.12
				कुल	2.24

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12/3/2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2024-25/100843 **लोक सूचना** दि.11.03.2025

श्रीमति DALJEET SINGH पत्नि श्री AJMER SINGH जाति PUNJABI निवासी RANGPUR ROAD NAYAGANV, KISHANPURA TAKIYA, PO. KISHAN PURA TAKIYA DISTT. KOTA श्री RAGHUVEER MEENA पुत्र श्री BADRI LAL MEENA जाति MEENA निवासी BARAN ROAD NAYANOHERA BORKHEDA NAYAPURA KOTA RAJASTHAN ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	गंगायचा, लाडपुरा (कोटा)	DALJEET KAUR D/O BHAJAN SINGH HISSA PURNA CASTE- SIKH SA KISHANPURA TAKIYA KHATEDAR	520	2000	0.2
2.	गांवडी, लाडपुरा (कोटा)	DALJEET KAUR D/O BHAJAN SINGH HISSA PURNA CASTE- SIKH SA KISHANPURA TAKIYA KHATEDAR	657	1800	0.18
3.	गंगायचा, लाडपुरा (कोटा)	RAGHUVEER MEENA S/O BADRI LAL MEENA HISSA PURNA CASTE-MEENA COLONY NAYA NOHARA BORKHERA, CITY KOTA PINCODD-324001 DISTT. KOTA KHATEDAR	519	3100	0.31
4.	गांवडी, लाडपुरा (कोटा)	RAGHUVEER MEENA S/O BADRI LAL MEENA HISSA PURNA CASTE-MEENA COLONY NAYA NOHARA BORKHERA, CITY KOTA PINCODD-324001 DISTT. KOTA KHATEDAR	656	2000	0.2
				कुल	0.89

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11/3/2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2024-25/100900 **लोक सूचना** दि.12.03.2025

श्री SHYAM LAL पुत्र श्री GOPAL DAS जाति SINDHI निवासी PREM PRAKASH ASHRAM SINDHI CHOK, SHRIPURA, KOTA, KOTA CITY, RAJASTHAN-324006 ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	तेखड़ा, लाडपुरा (कोटा)	SHYAM LAL S/O SHRI GOPAL DAS HISSA PURNA CASTE- SINDHI HOUSE NO.- 0, COLONY PREM PRAKASH ASHRAM, SHRIPURA, KOTA KHATEDAR-324006 RAJASTHAN	276	400	0.04
2.	तेखड़ा, लाडपुरा (कोटा)	SHYAM LAL S/O SHRI GOPAL DAS HISSA PURNA CASTE- SINDHI HOUSE NO.- 0, COLONY PREM PRAKASH ASHRAM, SHRIPURA, KOTA KHATEDAR-324006 RAJASTHAN	277	700	0.07
3.	तेखड़ा, लाडपुरा (कोटा)	SHYAM LAL S/O SHRI GOPAL DAS HISSA PURNA CASTE- SINDHI HOUSE NO.- 0, COLONY PREM PRAKASH ASHRAM, SHRIPURA, KOTA KHATEDAR-324006 RAJASTHAN	278	500	0.05
				कुल	0.16

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12/3/2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका मांगरोल जिला-बारां (राज.)

क्रमांक:-न.पा.मा./भूमि/2024-25/4527 प्रारुप-10 दिनांक:-12.03.2025

(नियम 6 (7) देखिए)

लोक सूचना

श्री कुश कुमार मिश्रा पुत्र श्री रामबिलास जाति ब्राह्मण निवासी मांगरोल हाल निवासी बारां (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के व्यवसायिक पेट्रोल पम्प उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला-बारां तहसील-मांगरोल	राजस्व ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का किशनपुरा तह. मांगरोल	657 रकबा 4.85 है. के 1500 वर्गमीटर में से	1500 वर्गमीटर

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज.......को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी नगर पालिका मांगरोल

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-27 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक:-11.3.25

नगर विकास न्यास कोटा की विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" योजना के भूखंड/आवास संख्या 745 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 29.04.2010 को श्री सुरेश कुमार गौतम पुत्र श्री विष्णु प्रकाश गौतम को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री नितिन राठौर पुत्र श्री पृथ्वीराज राठौर द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.10.2024 को श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री नाथूलाल को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 745 योजना विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" का नाम हस्तान्तरण श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री नाथूलाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-28 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक:-11.3.25

नगर विकास न्यास कोटा की विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" योजना के भूखंड/आवास संख्या 564 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 17.05.2010 को श्री नीतेश पारेता पुत्र श्री ओमप्रकाश जी को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री नितिन राठौर पुत्र श्री पृथ्वीराज राठौर द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.12.2024 को श्री चन्द्रप्रकाश मालव पुत्र श्री बाबूलाल मालव को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 564 योजना विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" का नाम हस्तान्तरण श्री चन्द्रप्रकाश मालव पुत्र श्री बाबूलाल मालव के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/1146 दिनांक:-6.3.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना रानी लक्ष्मी बाई नगर भूखंड संख्या 145 का आवंटन पत्र क्रमांक 25 दिनांक 21.12.2017 को श्री हुकुम चन्द पुत्र श्री दुर्गालाल के नाम आवंटन किया गया था। श्री हुकुम चन्द पुत्र श्री दुर्गालाल की मृत्यु दिनांक 08.05.2022 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री हुकुम चन्द पुत्र श्री दुर्गालाल के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, गवाहों के शपथ पत्र, आईडी इत्यादि के आधार पर श्रीमती शिमला बाई पत्नी स्व. श्री हुकुम चन्द एवं नाबालिग श्री आयुष धाकड़ पुत्र स्व. श्री हुकुम चन्द एवं नाबालिग सुश्री स्नेहा पुत्री स्व. श्री हुकुम चन्द जरियेवली संरक्षक माता श्रीमती शिमला बाई पत्नी स्व. श्री हुकुम चन्द द्वारा उक्त भूखंड संख्या 145 अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 145 योजना रानी लक्ष्मी बाई नगर का नामहस्तान्तरण श्रीमती शिमला बाई पत्नी स्व. श्री हुकुम चन्द एवं नाबालिग श्री आयुष धाकड़ पुत्र स्व. श्री हुकुम चन्द एवं नाबालिग सुश्री स्नेहा पुत्री स्व. श्री हुकुम चन्द जरियेवली संरक्षक माता श्रीमती शिमला बाई पत्नी स्व. श्री हुकुम चन्द के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/3398 **विज्ञप्ति** दिनांक:-25.2.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना निलय विस्तार भूखंड संख्या ए-26 खसरा नं. 597/127 आवेदक/आवेदिका श्रीमती चंदना शर्मा पत्नी श्री लोकेश कुमार गौतम निवासी वार्ड नं. 5 धूमेस्वर महादेव मंदिर के पास कापरेन जिला बून्दी राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 55 दिनांक 20.04.2023 को श्रीमती रुपाली तिवारी पत्नी श्री सुजीत कुमार एवं श्री सुजीत कुमार पुत्र श्री विनय कुमार शुक्ला के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 27.12.2024 को जर्ये मुख्तारआम प्रणति बिल्डकॉन, जर्ये भागीदार श्री प्रदीप दाधीच पुत्र श्री रामकरण दाधीच द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया।

अतः श्रीमती चंदना शर्मा पत्नी श्री लोकेश कुमार गौतम के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-31 विक्रय स्वीकृति चाहने बाबत आम सूचना दिनांक:-11.3.25

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना वीरसावकर नगर आवासीय का भूखंड/आवास संख्या 187 श्री भीमराज शर्मा पुत्र श्री फून्दीलाल शर्मा को आवंटन/नीलामी पत्र दिनांक 13.08.1994 के द्वारा आवंटन किया गया था। अतः उक्त भूखंड की विक्रय स्वीकृति जर्ये मुख्तारआम श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री कन्हैया लाल जैन द्वारा नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम विक्रय स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 187 योजना वीरसावरकर नगर आवासीय की विक्रय स्वीकृति श्री भीमराज शर्मा पुत्र श्री फून्दीलाल शर्मा जर्ये मुख्तारआम श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री कन्हैया लाल जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/18756 दिनांक: 12.3.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजकुमार झॉम्ब, श्री हरीश कुमार झॉम्ब एवं श्रीमती किरण झॉम्ब पिसरान स्व. श्री रामलाल झॉम्ब निवासी 88-बी वल्लभ नगर कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण भूखंड संख्या 88-बी वल्लभ नगर कोटा (राज.) नगर निगम कोटा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखंड संख्या 88-बी वल्लभ नगर कोटा क्षेत्रफल-2400 वर्गफुट का श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरी दास को CIT नीलामी में दिनांक 31.10.1961 को प्राप्त हुआ है। श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरी दास ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.03.1964 से उक्त भूखंड श्री रामलाल पुत्र श्री तेजमान को विक्रय किया है। श्री रामलाल पुत्र श्री तेजमान की मृत्यु दिनांक 07.06.1991 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान श्री सत्यपाल झॉम्ब, श्री राजेन्द्र कुमार झॉम्ब पिसरान स्व. श्री रामलाल झॉम्ब, श्रीमती शीला देवी झॉम्ब पत्नी स्व. श्री रामलाल झॉम्ब ने पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 20.10.2015 से उक्त भूखंड में से अपना हक श्री राजकुमार झॉम्ब, श्री हरीश कुमार झॉम्ब एवं श्रीमती किरण झॉम्ब पिसरान स्व. श्री रामलाल झॉम्ब के पक्ष में त्याग दिया है। श्री राजकुमार झॉम्ब, श्री हरीश कुमार झॉम्ब एवं श्रीमती किरण झॉम्ब पिसरान स्व. श्री रामलाल झॉम्ब के पक्ष में नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4731 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 10.3.25

आवास संख्या 5-बी-10 विज्ञान नगर अतिरिक्त योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री राधेश्याम वर्मा पुत्र श्री राम प्रताप वर्मा को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री ओम प्रकाश बिहानी पुत्र श्री गोपाल चन्द बिहानी के नाम दिनांक 01.08.1998 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री ओम प्रकाश बिहानी पुत्र श्री गोपाल चन्द बिहानी के नाम दिनांक 27.03.2000 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री ओम प्रकाश बिहानी पुत्र श्री गोपाल चन्द बिहानी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 07.11.2003 को श्री नवीन अग्रवाल पुत्र श्री सत्यनारायण अग्रवाल को किया गया। श्री नवीन अग्रवाल पुत्र श्री सत्यनारायण अग्रवाल का नाम दिनांक 28.04.2004 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री नवीन अग्रवाल पुत्र श्री सत्यनारायण अग्रवाल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 23.08.2024 को श्री प्रियंक शर्मा पुत्र श्री वी.डी. शर्मा को किया गया। श्री प्रियंक शर्मा पुत्र श्री वी.डी. शर्मा का नाम दिनांक 06.11.2024 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री प्रियंक शर्मा पुत्र श्री वी.डी. शर्मा द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 31.12.2024 को श्री अब्दुल सलाम अंसारी, श्री असलम अंसारी, श्री साजिद अंसारी एवं श्री जीशान पुत्रान् स्व. श्री अब्दुल जब्बार को संयुक्त रुप से किया गया। श्री अब्दुल सलाम अंसारी, श्री असलम अंसारी, श्री साजिद अंसारी एवं श्री जीशान पुत्रान् स्व. श्री अब्दुल जब्बार द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास संख्या 5-बी-10 विज्ञान नगर अतिरिक्त योजना कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री अब्दुल सलाम अंसारी, श्री असलम अंसारी, श्री साजिद अंसारी एवं श्री जीशान पुत्रान् स्व. श्री अब्दुल जब्बार का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री अब्दुल सलाम अंसारी, श्री असलम अंसारी, श्री साजिद अंसारी एवं श्री जीशान पुत्रान् महसूम श्री अब्दुल जब्बार का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री अब्दुल सलाम अंसारी, श्री असलम अंसारी, श्री साजिद अंसारी एवं श्री जीशान पुत्रान् स्व. श्री अब्दुल जब्बार का नाम दर्ज कर दिया जावेगा। उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा